तैयारी : इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकरण शुल्क से छूट होगी

रियायत

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण शुल्क माफ हो सकता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 27 मई को इसके पंजीकरण, नवीनीकरण शुल्क को माफ करने संबंधी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक माह में हितधारकों से सुझाव और आपत्ति मांगी हैं।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए वृहद नीति बन रही है। इसमें बैटरी को सस्ता करने के उपाय होंगे। ऐसे वाहनों के लिए टोल टैक्स, वैट आदि में छूट के नए नियम लागू होंगे। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण, वैट में छूट लागू कर दी है।